"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 289] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 11 नवम्बर 2010—कार्तिक 20, शक 1932

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 10 नवम्बर 2010

अधिसूचना

क्र. एफ -1-11/18/2010.— छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्र. 23 सन् 1956) की धारा 11 एवं छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 29-ए के अधीन निर्मित छत्तीसगढ़ नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षानुसार नगर पंचायत विश्रामपुरी, जिला-बस्तर के आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :-

आरक्षित वार्डों की सूची

क्रमांक (1)	वर्ग (जिसके लिए आरक्षण किया गया) (2)	वार्ड क्रमांक (3)	वार्ड का नाम (4)
1.	अनुसूचित जाति वर्ग	10	लक्ष्मीबाई वार्ड
2.	अनुसूचित जाति वर्ग (महिला)	-	-
3.	अनुसूचित जनजाति वर्ग	02	जवाहरलाल नेहरू वार्ड
		04	जय बुढ़ादेव वार्ड
		05	महाराजा प्रवीरचंद्र भंजदेव वार्ड
		07	रानी दुर्गावती वार्ड
		09	सरदार भगतसिंह वार्ड
		13	शिवमंदिर वार्ड
		15	वीरनारायण सिंह वार्ड

(1)	(2)	(3)	(4)
4.	अनुसूचित जनजाति वर्ग (महिला)	01 06 11 14	मां दन्तेश्वरी वार्ड प्रियदर्शनीय इंदिरा वार्ड मां शीतला वार्ड महात्मा गांधी वार्ड
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग	-	-
6.	अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला)	-	-
7.	महिला वर्ग	12	श्री अटलबिहारी बाजपेयी वार्ड

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमित कटारिया, उप सचिव.

रायपुर, दिनांक 10 नवम्बर 2010

क्रमांक एफ -1-11/18/2010.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-1-11/18/2010 दिनांक 10-11-2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमित कटारिया, उप सचिव.

Raipur the 11th November, 2010

NOTIFICATION

No. F-1-11/18/2010 .— The List of the Reservation of Wards for Nagar Panchayat Visharampuri, Distt. Bastar is published as required under Rule 7 of Chhattisgarh Nagar Palika (Reservation of Wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Women) Rules, 1994 made under Section 11 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) & Section 29-A of Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961), as follows :-

List of the Reserved Wards

Sl. No. (1)	Reservation for Category (2)	Ward No. (3)	Name of the Wards (4)
1.	Scheduled Caste	10	Laxmibai Ward
2.	Scheduled Caste (Female)	-	-
3.	Scheduled Tribes	02 04 05	Jawaharlal Nehru Ward Jai Bhudadev Ward Maharaja Praveer Chandra Bhanjdev Ward

(1)	(2)	(3)	(4)
		07	Rani Durgawati Ward
		09	Sardar Bhagatsingh Ward
		13	Shivmandir Ward
		15	Veernarayan Singh Ward
4.	Scheduled Tribes (Female)	01	Maa Danteshwari Ward
		06	Priyadarshani Indira Ward
		11	Maa Shitla Ward
		14	Mahatma Gandhi Ward
5.	Other Backward Class	-	-
6.	Other Backward Class (Female)	-	-
7.	Female	12	Shri Atalbihari Bajpai Ward

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
AMIT KATARIA, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.